न्यायालयः न्यायिक मजिस्ट्रेट, कालपी, जनपद जालौन।
मुकदमा सं0—920/2016
सरकार प्रति हरिन्द्र कुमार

एन0सी0आर0 सं0 149/2015
धारा 323,504,506 भा0द0सं0
थाना कालपी, जिला जालौन।

<u>आरोप</u>

मैं, दानवीर सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट, कालपी, आप अभियुक्त **हरिन्द्र कुमार** को एतद्द्वारा निम्न आरोपों से आरोपित करता हूँ:—

1— यह कि दिनांक 24.09.2015 को समय करीब 5.00 बजे शाम, स्थान ग्राम मटका, कस्बा व थाना कालपी, जिला जालौन आपने वादी मुकदमा मनोज कुमार को कुल्हाड़ी की मूँज से मारपीट कर साधारण उपहति कारित की। इस प्रकार आपने भा0द0सं0 की धारा—323 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2— यह कि उक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने वादी मुकदमा को अपमानित करने के उद्देश्य से गालियां दी, जिससे कि वह उत्तेजित होकर लोकशांति भंग करने पर अमादा हो जाए। इस प्रकार आपने भा0द0सं0 की धारा—504 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3— यह कि उक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने वादी मुकदमा को जान से मारने की धमकी दी। इस प्रकार आपने भा0द0सं0 की धारा—506 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद् द्वारा मैं आपको निर्देश देता हूँ कि उक्त आरोपों में आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक—22.11.2019

(दानवीर सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, कालपी,
जनपद जालौन।

अभियुक्त को आरोपों को पढ़ कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोपों से इंकार किया व विचारण की मांग की।

दिनांक—22.11.2019

(दानवीर सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, कालपी,
जनपद जालौन।